

फर्द अहकाम

वनाम _____

/वर्ष _____

/20 _____

| आज्ञा कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|-----------------|--|-------------|
| | <p>पत्रावली-पेश की गयी 20 साक्ष्य/कार्य कन्डोलेरा. दिनांक 21.8.22 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू</p> | |
| <p>2.8.22</p> | <p>पत्रावली में पेश की गई पत्रिका की उपरिचय है जवाब सजाए प्राप्त हुआ। पत्रावली दिनांक 13.8.22 को पेश की।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p> | |
| <p>13.8.22</p> | <p>पत्रावली लोक अदालत में पेश की गई पत्रावली का अन्वयान विषय जवाब सजाए अनुपात दावा स्वीकार किया जाना उचित है अतः दावा का दावा स्वीकार किया जाना मुताबिक जवाब सजाए आगामी लगभग 215 रुका 0.38 है. खला न-219 रुका 0.27 है. रकमानम्बर 221 रुका 0.60 है. कुल रकमा 3 रुका 1.25 है. अतः आगामी मुकदमा तहसील चाकसू में अर्जुन पुत्र मंगीलाल का हिस्सा 1/10 व हीनर पुत्र लखदेव का हिस्सा 1/10 जातिगत तिकाणी मुकदमा तहसील चाकसू के स्थान पर अर्जुन पुत्र लखदेव का हिस्सा 1/15 व मंगीलाल पुत्र लखदेव का हिस्सा 1/15, हीनर पुत्र लखदेव का हिस्सा 1/15 जाति जाट तिकाणी मुकदमा, चाकसू मुकदमा</p> | |

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)



| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा वा कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|----------|------------------------------|---|
| | | <p>निर्णय होने के आठवा दिन जतेह निर्णय आउता डिडी फर्क जाये हो। निर्णय की पालना हेतु तस्वीरगत को लाना जाके प्रभावती केसल- सुगा होना नम्बर के का होना दाखल करवा हो।</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p>न्यायिक सहायक</p> <p>उपखण्ड अधिकारी काकरी (जयपुर)</p> <p>अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्र.सं. 16 जयपुर महानगर प्रथम (काकरी)</p> |